

‘सभी पात्र असंगठित श्रमिकों के ई-श्रम कार्ड बनवाए जाएं’

कोटा, (निसं)। ई-श्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, भवन एवं अन्य संनिमाण कर्मकार की टास्क फोर्स, जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सस्तका समिति एवं बाल श्रम की रोकथाम हेतु गठित समितियों की बैठकें जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गईं। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की

■ ‘पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीयन की गति बढ़ाएं’

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ई-श्रम कार्ड बनवाने एवं पंजीयन की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि ई-श्रम कार्ड से असंगठित श्रमिकों का एक डेटा बेस तैयार होगा और उसी के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक जिले में 64.01 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ है। सभी राजकीय विभागों, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं व्यापार संघ के सहयोग से शत प्रतिशत लक्ष्य पूरे किए जाएं। उन्होंने जिला परिषद से मनरेगा श्रमिकों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से आशा सहयोगिनियों, कृषि



कोटा जिला कलेक्टर ने बैठक में आवश्यक निर्देश दिये हैं।

उपज मंडी-भामाशाह मंडी से हम्मालों, मुनीमों, स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगरपालिकाओं से टेला चालक, थड़ी संचालक, फूटपाथ विक्रेता वेण्डर, शहरी नरेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षा विभाग से मिड-डे-मिल वर्कर्स, पशुपालन, कृषि, मत्स्य विभाग से पशुपालक, भूमिहीन श्रमिक, परिवहन विभाग को ड्राइवर व कन्डक्टर्स को, व्यापार महासंघ एसोसिएशन से वाणिज्यिक संस्थानों में कार्य करने वाले श्रमिकों, यूनियन्स के पदाधिकारियों से असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीयन करवाने के

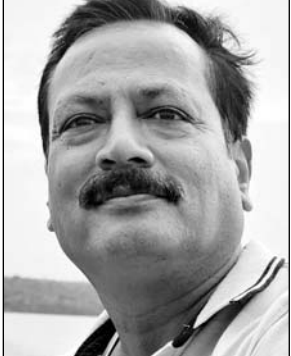
निर्देश दिए। जिला कलक्टर संयुक्त श्रम आयुक्त को निर्देश दिए कि ई-श्रम एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराएं। सभी संबंधित कांटेक्टर, भवन मालिक 10 लाख से अधिक भवन निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का एक प्रतिशत लेबर सेस (श्रम उपकर) जमा कराएं ताकि ब्याज व पेनल्टी से बचा जा सके। उन्होंने संबंधित सदस्यों एवं एजेन्सियों को निर्देश दिए कि बाल श्रमिक एवं बंधक श्रमिक चिन्हित होते ही उनके पुनर्वास के लिए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में संयुक्त श्रम आयुक्त शमिता जैन ने

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए बनाए गए पोर्टल एनडीयूडब्ल्यू की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी पात्र असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड जारी करने के लिए कोटा जिले में 6 लाख 48 हजार 28 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से अब तक 4 लाख 14 हजार 806 ई-श्रम कार्ड बनाकर 64 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर कोटा जिले में 68 हजार 986 निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हुए हैं। पात्र निर्माण श्रमिक जिसने एक वर्ष में 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

भारत रेडियो महोत्सव दिल्ली में भाग लेंगे संजय वर्मा

कोटा, (निसं)। भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आईसीसी) नई दिल्ली में होने वाले नवें संस्करण भारत रेडियो महोत्सव में राजस्थान के कोटा से भाग लेने के लिए किसानवाणी के रेडियो हेड संजय वर्मा ‘बिबेक’ दिल्ली के लिए खाना हो गए हैं।

सूचना एव प्रसारण मंत्रालय द्वारा रेडियो दिवस पर अयोजित रेडियो महोत्सव में एआईई संचालित वॉइस टेक्नोलॉजी और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर चर्चा की जाएगी साथ ही समुदाय में रेडियो का महत्व, रेडियो प्रसारण की गुणवत्ता बढ़ाने सहित रेडियो से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर टॉक होगे। रेडियो महोत्सव में देशभर से आए रेडियो स्टेशनों को



संजय वर्मा

अलग-अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए जाएंगे।

■ **सार-समाचार**
खोया मोबाइल सुरक्षित लौटाया
कोटा, (निसं)। रेल में यात्रा के दौरान टेन में चढ़ते समय प्लेटफार्म पर एक महिला यात्री का मोबाइल गिर गया था, यात्री ने इसकी शिकायत यात्री सहायता सेवा 139 पर की थी। महिला यात्री का मोबाइल खोने की शिकायत पर रेलवे प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाही करते हुए ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत सहितान द्वारा को खोया हुआ मोबाइल सुरक्षित बरामद कर विधिवत रूप से सुपुर्द किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 20451 में यात्रा के दौरान हिंडीन सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 02 पर चढ़ते समय महिला यात्री का मोबाइल गिर गया था। इस संबंध में यात्री द्वारा यात्री सहायता सेवा 139 पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर रेलवे द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि शिकायत की अनुपालना में रेलवे द्वारा स्टेशन परिसर में खोजबीन कर संबंधित मोबाइल सुरक्षित अवस्था में प्राप्त किया गया। मोबाइल मिलने की सूचना यात्री को दी गई तथा आवश्यक दस्तावेजों एवं पहचान की पुष्टि के उपरांत मोबाइल को लौटाया गया। मोबाइल का अनुमानित मूल्य बारह हजार रुपये बताया गया।

■ **चिकित्सा शिविर में 98 रोगी लाभान्वित**
कोटा, (निसं)। लायंस क्लब कोटा एवं रामस्वरूप कालाणी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा झालावाड़ रोड स्थित लायंस भवन पर नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष सोनल नंदवाना ने बताया कि शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित 173 नागरिकों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 98 रोगियों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। सचिव मुकेश विजयवर्गीय ने बताया कि जिला अंधता निवारण समिति शिविर में सहयोगी रही। क्लब अध्यक्ष सोनल नंदवाना ने बताया कि शिविर में नि:शुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत सभी मरीजों का आधुनिक लेजर तकनीक द्वारा ऑपरेशन किया गया। वरिष्ठ सदस्य रामस्वरूप कालानी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीजों को सुरक्षाार्थ काले चश्मे वितरित किए गए। शिविर प्रभारी एमजेएफ अशोक नुवाल ने जानकारी दी कि सभी 98 सफल ऑपरेशन वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉ.विशाल स्नेही द्वारा लेजर पद्धति से संपन्न किए गए तथा मरीजों को उपयुक्त लेंस प्रत्यारोपित किए गए। उन्होंने कहा कि शिविि का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण नेत्र उपचार पहुंचाना है। इस अवसर पर सचिव मुकेश विजयवर्गीय, रामस्वरूप कालानी, नारायण कालानी, सुनील आनंद, पवन परेता, विनोद अजवानी एवं मुकेश विजयवर्गीय सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।

अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। खातौली पुलिस टीम ने इलाके में गस्त के दौरान आकस्मिक चैकिंग के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत खातौली थानाधिकारी देशराज ने मय जप्ता इलाके में गस्त के दौरान तालाब गांव के पास बंजारी रोड़ पर आकस्मिक चैकिंग की। ग्रामीणी एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने आकस्मिक चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति से अवैध मादक पदार्थ 366 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस टीम ने मौके पर एनटीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए बंजारी निवासी ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

एनटीपीसी अंता ने अस्पताल में मरीजों के लिए कम्बल दिये

अंता, (निसं)। एनटीपीसी अंता ने अपनी नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत राजकीय उप जिला अस्पताल, अंता में भर्ती मरीजों की सुविधा हेतु 45 कम्बल प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि अस्पताल में कुल 45 बिस्तर उपलब्ध हैं, जिसमें भर्ती सभी मरीजों को शीत ऋतु के दौरान ठंड से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह कम्बल वितरित किए गए। कम्बलों का वितरण अस्पताल के चिकित्सक डॉ. पारस जैन को एनटीपीसी अंता के निशांत कुमार, उप प्रबंधक मानव संसाधन एवं सुरशील सोनवंशी, कार्यपालक सीएसआर द्वारा किया गया। यह पहल अस्पताल में उपचारित मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई, जिसे अस्पताल प्रशासन द्वारा सराहा गया।

एस.डी.एम. को ज्ञापन सौंपा

छबड़ा (निसं)। पिछले दो माह से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही भुगतान दिलाए जाने की मांग की। एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया की दो महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है। समय पर बैंक ऋण की किरतें तक जमा नहीं हो पाने से उन्हें परेशानी

हो रही है। सफाई कर्मिको ने चेतावनी दी है कि समस्या का समय पर समाधान नहीं हुआ तो काम का बहिष्कार करेंगे। एसडीएम ने कर्मिकों को जल्द ही वेतन भुगतान के लिए आश्वस्त किया। यहां आशा, लखन, रौनक, चौधमल, सविता, मंजू, निर्मला, राम बाबू, प्रेम बाई, दीपक, कमलेश, अविनाश, पवन और जितेंद्र सहित आदि मौजूद थे।

के.डी.ए. आयुक्त ने विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण की आयुक्त ममता कुमारी तिवाड़ी ने शहर में प्रगतिरत विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता एवं कार्य प्रगति की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी स्वीकार्य नहीं होगी तथा सभी कार्य निर्धारित समयसीमा एवं तकनीकी

■ **गुणवत्ता व समयबद्धता पर विशेष जोर दिया**

मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किए जाएंगे। निरीक्षण की शुरुआत श्रीनाथपुरम स्थित स्टेडियम से की गई, जहां आयुक्त ने फुटबॉल ग्राउंड में चल रहे मिट्टी भराई कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण कर कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।

इस दौरान जिम के ऊपर निर्माणाधीन हॉल एवं वॉकिंग हेतु तैयार किए जा रहे सिंथेटिक ट्रैक का भी निरीक्षण किया गया। स्टेडियम परिसर में निर्माणाधीन नए बास्केटबॉल कोर्ट का अवलोकन करते हुए आयुक्त ने कार्य को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात आयुक्त ने श्रीनाथपुरम सेक्टर-सी में सीसी रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण



कोटा विकास प्राधिकरण की आयुक्त ममता कुमारी तिवाड़ी ने शहर में प्रगतिरत विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता एवं कार्य प्रगति की समीक्षा की।

किया तथा निर्माण गुणवत्ता की नियमित निगरानी के साथ थर्ड पार्टी गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने संबन्धित अभियंताओं को निर्देश दिये कि गुणवत्ता परीक्षण संतोषजनक पाए जाने के पश्चात ही संवेदक को भुगतान किया जाए। आर.के.पुरम क्षेत्र में विकसित किए जा रहे पार्कों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

आगे बालाजी मार्केट स्थित यूआईटी ऑडिटोरियम में चल रहे नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

होला महला पत्रिका का विमोचन

बूंदी (निसं)। गुरुद्वारा दुख निवारण श्रीहेमकुंत वासी दरबार में होने वाले महान होला महल्ला गुरमत समागम की तैयारियों के तहत गुरुद्वारा परिसर में होला महल्ला पत्रिका का विमोचन किया गया। सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों, समाज के वरिष्ठ और प्रबुद्धजनों की आमसभा हुई, जिसमें होला महल्ला के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आपसी सहमति और विमर्श के बाद तय की गई।

संस्था निदेशक कुलदीप भागवं ने बताया कि मंचासीन अतिथियों में मुकेश पांचाल, हरिओम गौड, जादवीदा प्रसाद

वार्षिकोत्सव व विदाई समारोह कार्यक्रम सम्पन्न

छबड़ा (निसं)। यहां के सरस्वती सीनियर सैकंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव व विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया। यहां मुख्य अतिथि पूर्व पालिकाध्यक्ष हरीश माहेश्वरी, विशिष्ट अतिथि पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सीपी गेरा, अशोक भागवं राजेंद्र गौतम पूर्व प्रधानाचार्य रहे। अध्यक्षता ओमप्रकाश शर्मा पूर्व व्याख्याता द्वारा की गई।

संस्था निदेशक कुलदीप भागवं ने बताया कि मंचासीन अतिथियों में मुकेश पांचाल, हरिओम गौड, जादवीदा प्रसाद

गौड, धनुष देव बैरागी, सुनील भागवं व्याख्याता, फूलसिंह मौणा जिला परिषद सदस्य शामिल रहे। कार्यक्रम में गत सत्र मे बोर्ड परीक्षाओ मे टॉपर रहे विद्यार्थियों का सम्मान किया। यहां माहेश्वरी व गेरा ने कहा कि आज के प्रतियोगिताभरे युग मे नियमित रूप से बिना कोई तनावग्रस्त रहते हुए पढ़ाई करना चाहिए, जो की अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन सके व स्वयं को भी परिश्रम का फल प्राप्त हो सके तथा नाटक के माध्यम से मोबाईल की लत

के कारण उत्पन्न हुए दुष्परिणामो की भी जानकारी दी गई व इससे सजग रहने की जानकारी भी दी गई।

अध्यक्षता कर रहे शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को अनुशासन मे रहते हुए समयबद्ध तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए एवं साथ ही जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओ मे 90 प्रतिशत से अंक लाने पर प्रति छात्र को एक हजार रुपये इनाम राशि दिए जाने की घोषणा की गई। प्रधानाचार्य द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया।

संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हिंदू सम्मेलन का आयोजन



कोटा में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हिंदू सम्मेलन उत्साह के साथ मनाया गया।

कोटा, (निसं)। चाणक्य नगर गायत्री बस्ती जवाहर नगर सी सेक्टर तलवंडी की क्षेत्र में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में 800 से अधिक महिलाओं द्वारा विशाल कलश धारण करके शोभायात्रा निकाली। जिसमें सभी हिंदू संगठनों के लोगों ने सक्रिय भाग लिया। बैड बाजे और डोजे की धुन पर अभिनव कला के साथ श्रीराम मंदिर

जवाहर नगर से गायत्री मंदिर सी सेक्टर तलवंडी तक कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद हिंदू सम्मेलन में संत प्रभाकर साहेब एवं संत बालकिशन दास महाराज महंत भूतेश्वर महादेव मंदिर जयपुर एवं मुख्य वक्ता देवेन्द्र मालव धर्म प्रचार प्रमुख, मातृशक्ति अर्चना मौजूद रहीं। अध्यक्षता लहरी शंकर गौतम पूर्व पार्षद ने की, संचालन रामस्वरूप शर्मा पूर्व तहसीलदार ने किया। कार्यक्रम में

आध्यात्मिक एवं पर्यावरण विकास समिति के अध्यक्ष राम कुमार मेहता, गायत्री महिला मित्र मंडल की सभी पदाधिकारी, श्रीराम मंदिर जवाहर नगर के सभी पदाधिकारी तथा चंद्रशेखर मित्तल, मोहन मुरारी सोनी, राम मनोहर शर्मा, हिमांशु सिंह चंद्रावत, गोकुल प्रसाद, यादवेंद्र, सुरेंद्र कलवार पार्षद तथा बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे।

अग्निशमन सुरक्षा को लेकर 10 प्रतिष्ठानों को नोटिस, होटल सीज

कोटा, (निसं)। नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने शहर में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच को लेकर सख्त कार्रवाई की। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के नेतृत्व में तलवंडी क्षेत्र में वेज-नॉनवेज रेस्टोरेंट्स तथा रिहायशी व व्यावसायिक भवनों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अग्निशमन नियमों की अनदेखी पाए जाने पर प्योर वेजीटेरियन, बिहारी लाल पुत्र मूलचंद धाकड़, न्यू बिहारी मीट हाउस, चाय वाला कैफे बार, राजीव गांधी नगर स्थित चंपरण हाड़ी मीट हाउस, दिल्ली स्पाइसी रोल हट, टी स्टोर तथा महालक्ष्मीपुरम वेलफेयर सोसायटी, बोरखेड़ा सहित कुल 10 प्रतिष्ठानों को मौके पर ही नोटिस जारी किए गए। वहीं तलवंडी रोड पर नाले के ऊपर संचालित होटल बिहार स्पेशल की नियमों के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। इसके साथ स्थित श्रीराम गैस रिपेयर की दुकान पर अवैध गैस रीफिलिंग की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो घेरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए और भविष्य में अवैध रीफिलिंग नहीं करने के निर्देश दिए गए।

अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट किया कि आगामी दिनों में शहरभर में रिहायशी और व्यावसायिक भवनों, मॉल, वेज-नॉनवेज रेस्टोरेंट्स सहित उन सभी परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा, जहां अग्नि दुर्घटना से जान-माल के नुकसान की आशंका है। नियमों की अनदेखी मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी।

सिंधु हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत उच्च जोखिम वाली सर्जरी नि:शुल्क की

कोटा, (निसं)। सिंधु अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत एक उच्च जोखिम वाली लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी पूरी तरह से नि:शुल्क सफलतापूर्वक की गई। उल्कृष्ट शल्य चिकित्सा कौशल और रोगी देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए डॉ.यश भागवं द्वारा कोटा निवासी 55 वर्षीय महिला खेरनिशा का का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है।

निदेशक डॉ.विनय गुवालानी ने बताया कि महिला पिछले लंबे समय से पेट दर्द की समस्या से परेशान चल रही थी। सिंधु हॉस्पिटल सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए समर्पित है। सिंधु अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत उच्च जोखिम वाली लेप्रोस्कोपिक पिताशय की सर्जरी सफलतापूर्वक नि:शुल्क की गई है।

निदेशक डॉ. के अनुसार सिंधु हॉस्पिटल हर किसी के लिए उन्नत और किकायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्जन डॉ.यश भागवं और निदेशक डॉ.विनय गुवालानी ने बताया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे कट, कम



कोटा सिंधु अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत एक उच्च जोखिम वाली लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी पूरी तरह से नि:शुल्क सफलतापूर्वक की गई है।

दर्द, तेजी से रिकवरी और थोड़े समय के लिए ही अस्पताल में रुकना पड़ता

है। आयुष्मान योजना के तहत, सिंधु अस्पताल पात्र रोगियों के लिए मुफ्त

गुणवत्ता वाली सर्जरी प्रदान कर रहा है।

कार्यालय नगर परिषद, झालावाड		
जिला-झालावाड (राज०)		
क्रमांक: न.परि.झा./स्थापना/2026/8034	दिनांक: 04.02.2026	
निविदा सूचना संख्या		
UBN No. : DLB2526SLOB33173		
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपरिषद झालावाड में कम्प्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, हेल्पर, फायरमेन, सफाई कर्मी, सुखा गाई एवं सामुदायिक संगठक (सीओ), जेटीए, तकनीकी विशेषज्ञ आदि श्रमिक आयुर्तुि कार्य। किया जाना है। जिसके लिए विभिन्न प्रतियुक्ति संवेदक को सन्निहित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमन्त्रित की जाती है। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु निविदा प्रपत्र/आवेदन दिनांक 11.02.2026 को वेबसाईट http://eproc.raajasthan.gov.in पर डाउनलोड किये जा सकते हैं, जो दिनांक 20.02.2026 को दोपहर 1:00 बजे तक वेबसाईट http://eproc.raajasthan.gov.in पर जमा कराये जायेंगे। जिसकी तकनीकी भिड दिनांक 20.02.2026 को समय साय 5:00 बजे तक वेबसाईट http://eproc.raajasthan.gov.in पर खोली जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य बातें वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in/eproc.raajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय में देखी जा सकती हैं।		
समापति	आयुक्त	
नगरपरिषद झालावाड	नगरपरिषद झालावाड	
राज.संवाद/सी/25/19408		

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		
नाम हस्तांतरण वाहन बाबत आम सूचना		
क्रमांक: - 802	दिनांक: 09.02.26	
प्राधिकरण कोटा की केशवपुर-6 आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 225 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 03.11.1986 को श्रीमती खासुन पत्नी श्री अश्वल्ला को किया गया था। आवंटन द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्बे मुख्तारआम श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री नारायण लाल द्वारा जर्बे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2010 को श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री रघुवीर शर्मा को विक्रय कर दिया गया है क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।		
अतः जरिरे आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 225 योजना केशवपुर-6 आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री रघुवीर शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।		
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		
नाम हस्तांतरण हेतु विज्ञप्ति आम सूचना		
क्रमांक :- एक/तहसील/क.व./2026/1190	दिनांक: 09.2.26	
कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्व संख्या 6 कच्ची बस्ती हुमाना नगर का पट्टा नियमन क्रमांक नियम/आवंटन/55 दिनांक 11.11.2000 को श्री लाल बिहारी युज केशव शंकर एवं श्रीमती रुकमणी एवं पतिन श्री लाल बिहारी को आवंटित किया गया था। आवंटन श्री लाल बिहारी का स्वर्गवास दिनांक 15.02.2013 को हो चुकी है। श्रीमती रुकमणी बाई द्वारा उक्त आवारा का बेचना जर्बे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2023 को श्री लोकेश सोनी पुत्री श्री राधेश्याम सोनी को कर दिया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पण्य-पत्र एवं विक्रय पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तांतरण प्रस्तावित है।		
अतः उक्त नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवे। अन्यथा बाद मियाद उक्त आवारा का नाम हस्तान्तरण श्री लोकेश सोनी पुत्री श्री राधेश्याम सोनी के नाम से कर दिया जावेगा।		
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा		
जाहिर आम सूचना		
क्रमांक-3207	दिनांक-09.02.26	
आवास संख्या 1-सी-67 महावीर नगर विस्तार, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्रीमती अनिता मौला पत्नी श्री पुष्पोत्तम मौला को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह के नाम दिनांक 20.02.1995 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह द्वारा दिनांक 20.02.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिरे विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 07.05.2002 को श्री मुरली थावनी श्री श्री गुरुभोपाल को किया गया। श्री मुरली थावनी पुत्र श्री गुरुभोपाल का नाम दिनांक 05.09.2024 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री मुरली थावनी पुत्र श्री गुरुभोपाल द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिरे विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 12.08.2025 को श्रीमती मिताक्षरा अगच्य पत्नी श्री शीतल कुमार को किया गया। श्रीमती मिताक्षरा अगच्य पत्नी श्री शीतल कुमार द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-सी-67 महावीर नगर विस्तार, कोटा को विक्रय-पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।		
अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती मिताक्षरा अगच्य पत्नी श्री शीतल कुमार का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी एकाग्र/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती मिताक्षरा अगच्य पत्नी श्री शीतल कुमार का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/व्यक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती मिताक्षरा अगच्य पत्नी श्री शीतल कुमार का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।		
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा		

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3161 जाहिर आम सूचना दिनांक-05.02.26

आवास संख्या 1-ख-9 दादाबाग, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री धर्मेन अग्रवाल पुत्र श्री मदनगोपाल फतेहपुरिया को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री धर्मेन अग्रवाल पुत्र श्री मदनगोपाल फतेहपुरिया द्वारा दिनांक 01.09.1987 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री धर्मेन अग्रवाल पुत्र श्री मदनगोपाल फतेहपुरिया द्वारा इस आवास से सम्बंधित समस्त कार्य करने हुए अपनी ओर से दिनांक 18.05.1982 को मुख्तानामा आम आलेखित कर श्री रतनचन्द पुत्र श्री कीमतराम को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री रतनचन्द पुत्र श्री कीमतराम मुख्तार आम श्री धर्मेन अग्रवाल पुत्र श्री मदनगोपाल फतेहपुरिया द्वारा मुख्तार आम धारक की हस्तिलय से उक्त आवास का बेचान जरिरे विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 22.09.1987 को श्रीमती लाजवन्ती पत्नी श्री रतनचन्द को किया गया। श्रीमती लाजवन्ती पत्नी श्री रतनचन्द की मृत्यु हो जाने के उपरान्त इस आवास का हस्तान्तरण रीतीजी डीड के आधार पर दिनांक 02.06.2005 को श्री रतनचन्द पुत्र श्री कीमतराम को किया गया तत्पश्चात श्री रतनचन्द पुत्र श्री कीमतराम द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिरे विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 27.02.2006 को श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द द्वारा दिनांक 01.09.2007 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री रतनचन्द को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती उषा पुत्रा पत्नी श्री र